C:\...\HARIOM\...DOC

प्रतिलिपि पत्र संख्या-1993/सत्तर-6-2007-2(261)/2003 दिनांक 12.07.2007 द्वारा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ0प्र0शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

आपके पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/855/2007 दिनांक 29.05.2007 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राजय विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश,2007) की धारा-37(2) के अधीन श्री राज्यपाल दयानन्द एकेडमी आफ मैनेजमेंट स्टडीज, गोविन्द नगर, कानपुर को बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2007 से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी ।
2. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अधीन महाविद्यालया को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

   महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियाँ आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/ 1354 /2007 दिनांक 16/7/07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक, दयानन्द एकेडमी आफ मैनेजमेंट स्टडीज, गोविन्द नगर, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें । माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार सूचित करना है कि प्राचार्य, शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, नियुक्ति पत्र, ज्वानिंग, अनुबन्ध पत्र(छायाचित्र सहित) तथा प्रबन्धक का शपथ पत्र (छायाचित्र सहित) विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना और महामहिम कुलाधिपति महोदय के सम्बद्धता पत्र में इंगित कमियों की पूर्ति उक्त पत्र में इंगित समय सीमा के अन्दर कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए ।
2. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
3. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
4. उपकुलसचिव(परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(महेश चन्द)
कुलसचिव

06

संख्या–1993 / सत्तर–6–2007–2(161) / 2003

प्रेषक,

प्रेम शंकर,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ: दिनांक 12 जुलाई, 2007

विषय:– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–सी0एस0जे0एम0वि0वि0 / सम्ब0 / 855 / 2007, दिनांक 29.05.2007 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, 2007) की धारा–37(2) के अधीन श्री राज्यपाल दयानन्द एकेडमी आफ मैनेजमेंट स्टडीज, गोविन्द नगर, कानपुर को बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2007 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(प्रेम शंकर)
अनु सचिव।

संख्या–1993(1) / सत्तर–6–2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर।
3. प्रबन्धक / प्राचार्य, दयानन्द एकेडमी आफ मैनेजमेंट स्टडीज, गोविन्द नगर, कानपुर ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर)
अनु सचिव।